"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2018 — ज्येष्ठ 4, शक 1940

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–02/आठ–परि./2018. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,–

अनुसूची–चार के सरल क्रमांक 3 से 6 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1) अपर परिवहन आयुक्त – अध्यक्ष

(2) संयुक्त/उप परिवहन आयुक्त – सदस्य

(3) संयुक्त/उप संचालक वित्त/लेखाधिकारी – सदस्य

(4) सहायक परिवहन आयुक्त – सदस्य सचिव"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 23rd May 2018

NOTIFICATION

No F-5-02/VIII/Trans./2018. — In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Transport Department Sub-ordinate Class-III (Executive) Service Recruitment and Condition of Service Rules, 2008, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

For the entries relating to column (5) of serial number 3 to 6 of Schedule-IV, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Additional Transport Commissioner - Chairman

(2) Joint/Deputy Transport Commissioner -Member

(3) Joint/Deputy Director Finance/ Account Officer -Member

(4) Assistant Transport Commissioner -Member Secretary"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–02/आठ–परि./2018. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) परिवहन सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,–

1. अनुसूची–तीन के सरल क्रमांक 1 से 5 के कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1) अपर परिवहन आयुक्त – अध्यक्ष

(2) संयुक्त/उप परिवहन आयुक्त – सदस्य

(3) संयुक्त/उप संचालक वित्त/लेखाधिकारी – सदस्य

(4) सहायक परिवहन आयुक्त – सदस्य सचिव"

2. अनुसूची–चार के सरल क्रमांक 1 से 8 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1) अपर परिवहन आयुक्त – अध्यक्ष

(2) संयुक्त/उप परिवहन आयुक्त – सदस्य

(3) संयुक्त/उप संचालक वित्त/लेखाधिकारी – सदस्य

(4) सहायक परिवहन आयुक्त – सदस्य सचिव"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 23rd May 2018

NOTIFICATION

No F-5-02/VIII/Trans./2018. — In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Class-III (Clerical and Non-Clerical) Transport Service Recruitment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. For the entries relating to column (6) of serial number 1 to 5 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Additional Transport Commissioner - -Chairman

(2) Joint/Deputy Transport Commissioner -Member

(3) Joint/Deputy Director Finance/ Account Officer -Member

(4) Assistant Transport Commissioner -Member Secretary"

2. For the entries relating to column (5) of serial number 1 to 8 of Schedule-IV, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Additional Transport Commissioner - -Chairman

(2) Joint/Deputy Transport Commissioner -Member

(3) Joint/Deputy Director Finance/ Account Officer -Member

(4) Assistant Transport Commissioner -Member Secretary"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.